

2024/674

फर्द अहकाम  
(नियम 15)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर जिला हनुमानगढ  
सायरसिंह बनाम विक्रमसिंह आदि

वाद अन्तर्गत धारा 53,188, 92क आर.टी.एक्ट प्रकरण संख्या 502 वर्ष 2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुये
28.10.2024	<p>वकील वादी द्वारा यह वाद पत्र पेश किया गया। बाद कार्यालय टिप्पणी के बाद वादी दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सामान्य व रजिस्टर्ड सम्मन से तल्ब किया जाकर पत्रावली आईन्दा 28.11.2024 को पेश हो।</p> <p>ॐ</p> <p>कुलाय कोसकन उपास्थत/PU माह ६ थप अरु      मेण्डल है। पत्रावली      गस्त <u>२७</u> दिनांक <u>२७.१०.२०२४</u>      को पेश हो <u>रुम्हा</u></p>	
५१२.२०२५	<p>फावली पेश डरी वकील वादी उपस्थित।      वकील वादी ने निवेदन किया कि वाद - फा      आगे नही पढाना चाहते हैं। भोजुदा रिचर्क      में छोडीज करवाना चाहते हैं। शर वाद - फा भोजुदा      रिचर्क में छोडीज किया जाता है। पत्रावली      नम्बर से काम की जाकर वाद तदानी तक वकील      जाकर फाखिल दफतर हो।</p> <p>ॐ</p> <p>सहायक कलक्टर एवं      उपखण्ड अधिकारी      रावतसर</p>	<p>वादी      विक्रमसिंह      सायरसिंह  <u>रुम्हा</u>  <u>५/१२/२०२५</u></p>

